W/192
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

448/14/225 गिरधारी सिंह / केसर सिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2014/0747 श्री अविनाश माथुर एड. श्री रेस्पोन्डे. 7 अनु. GA 21H23	

2.9.21

गिरधारी सिंह बनाम केसर सिंह वगैरह

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6, 8 से 20 की तलबी बार बार नोटिस पेश किये जाने के बाद भी नहीं हो रही है। इसलिए अपील पर सुनवाई की जाकर आदेश दिये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट को अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 द्वारा कब्जे के अभाव में अवैधानिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रस्तुत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र पर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.09.2014 को जारी किये जाने के आदेश पारित किये है एवं उक्त आदेश की आड़ में अपीलांट को उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये प्राथमिक स्तर पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दुओ का होना वर्णित करते हुए बिना किसी आधार के एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित किया हुआ है जो कि प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2014 निरस्त फरमाये जावें तथा पत्रावली विधि द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अपील का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा दिनांक 23.09.2014 प्रार्थीगण के अधिवक्ता की सुनवाई की जाकर ग्राम सरवीना तहसील ब्यावर की वाद वर्णित आराजी की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये है। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। चुंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2014 अन्तरिम आदेश हैं। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं इसलिए प्ररकण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर